

बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, किशनगंज
जिला कार्यालय-हलीम चौक, वार्ड न0 22, किशनगंज
अनुबंध पर नियुक्ति हेतु सूचना (संशोधित)

सभी अहर्ताधारी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि साधन सेवी (प्रखंड एवं जिला साधन सेवी) के रिक्त 06 पद के विरुद्ध दिनांक 15.03.17 तक बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, किशनगंज जिला कार्यालय-हलीम चौक, वार्ड न0 22, किशनगंज में रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आवेदन लिये जाएँगे। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन का प्रारूप, वांछित प्रमाण पत्र एवं अन्य जानकारी कार्यालय द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति में वर्णित है। जिसे जिला के वेबसाइट www.kishanganj.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

आदेशानुसार
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना, किशनगंज

बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, किशनगंज
जिला कार्यालय-हलीम चौक, वार्ड न0 22, किशनगंज
अनुबंध पर नियुक्ति हेतु सूचना (संशोधित)

- (1) पदनाम :- साधन सेवी (प्रखंड एवं जिला साधन सेवी)
- (2) रिक्ति :- 06 पद(प्रखंड साधन सेवी-04 पद एवं जिला साधन सेवी 02 पद)
- (3) रिक्ति हेतु आरक्षण कोटि :-अनुसूचित जाति कोटि-02 पद, अत्यंत पिछड़ा कोटि-01 पद, पिछड़े वर्गों की महिला-01 पद, अनारक्षित- 01 पद एवं अनारक्षित महिला- 01 पद।
- (4) अनिवार्य योग्यता :- (i) न्यूनतम इन्टर पास (ii) किशनगंज जिला का स्थायी निवासी हो (iii) साईकिल चलाने में दक्ष हो।
- (5) वांछित योग्यता :- (i) शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई कार्य किया हो तो उसका अनुभव (ii) कम्प्यूटर संचालन की जानकारी।
- (6) उम्र सीमा :- 01.01.2017को न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम उम्र अनारक्षित वर्ग (पुरुष)-37 वर्ष, अनारक्षित वर्ग (महिला)-40 वर्ष, पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष/महिला)-40 वर्ष, अ0जा0/अ0जन0जा0 (पुरुष/महिला)- 42 वर्ष।
- (7) चयन प्रक्रिया :-आवेदक का चयन निर्धारित चयन समिति द्वारा चयन कार्यशाला के माध्यम से किया जाएगा।
- (8) मानदेय :-अनुबंध के आधार पर नियत मासिक मानदेय 7500-/(सात हजार पाँच सौ) रू0 प्रतिमाह ।
- (9) नियोजन की प्रकृति :-प्रखंड साधन सेवी के 04 पद एवं जिला साधन सेवी का 02 पद पर नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक एवं तदर्थ रूप से 11 माह तक के लिए अनुबंध के आधार पर की जाएगी तथा इसके आधार पर किसी प्रकार के सरकारी पद पर नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।
- (10) अवधि विस्तार :-योजना की निरंतरता एवं कार्य निष्पादन संतोषजनक रहने की स्थिति में प्रतिवर्ष अवधि विस्तार किया जाएगा।
- (11) अनुबंध समाप्ति :-यद्यपि अनुबंध 11 माह तक के लिए किया जा सकेगा, तथापि कार्य संतोषजनक नहीं रहने या किसी तरह का आरोप प्रमाणित होने की स्थिति में अनुबंध अवधि के पूर्ण होने के पूर्व भी जिला स्तरीय चयन समिति के अनुमोदनोपरांत अनुबंध रद्द किया जा सकता है।
- (12) आवेदन पत्र का प्रारूप :-
 - (i) आवेदक का नाम :-
 - (ii) आवेदित पद का नाम :-प्रथम विकल्प :-..... द्वितीय विकल्प:-.....
 - (iii) पिता/पति का नाम :-
 - (iv) जन्मतिथि :-
 - (v) लिंग :-
 - (vi) 01.01.17को आयु :-
 - (vii) जाति कोटि (जाति प्रमाण पत्र संलग्न) :-
 - (viii) अनिवार्य योग्यता :-
 - (ix) वांछित योग्यता
 - a) कम्प्यूटर संबंधी योग्यता :-
 - b) अनुभव :-
 - (x) पत्राचार का पता :-
 - (xi) स्थायी पता (निवास प्रमाण पत्र संलग्न) :-
 - (xii) मोबाईल/दूरभाष संख्या :-
 - (xiii) ई-मेलआई डी0 :-



घोषणा :-

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सभी तथ्य मेरी जानकारी में सही है। गलत पाये जाने पर मेरा अभ्यर्थित्व किसी भी समय रद्द किया जा सकता है एवं मेरे विरुद्ध यथोचित वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान :-
दिनांक :-

- (13) अनुलग्नक :- (क) सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, (ख) दो स्व-पता लिखा एवं 25 रू0 का डाक टिकट लगा लिफाफा (ग) स्व-अभिप्रमाणित दो पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो।
- (14) आवेदन का माध्यम एवं अंतिम तिथि :-केवल निबंधित डाक से विज्ञापन प्रकाशन के 15वें दिवस के संध्या 05 बजे तक। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (15) आवेदन करने का पता :-बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, किशनगंज, हलीम चौक, वार्ड न0 22, पो0+जिला-किशनगंज, पिन-855107 (बिहार)
- (16) लिफाफे के उपर मोटे अक्षरों में एवं आवेदित पद के कॉलम में प्रथम विकल्प एवं द्वितीय विकल्प के लिए क्रमशः प्रखंड साधन सेवी एवं जिला साधन सेवी अंकित करना अनिवार्य है।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना, किशनगंज